



परिसंपत्ति समर्थित कृषि ऋण (अबल)

के लिए

व्यापार साथी

उत्पाद की विशेषताएँ

लक्ष्य समूह

किसान: व्यक्तिगत और प्रगतिशील किसान

समूह: किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

कृषि उद्यमी/बड़े व्यवसाय: कॉर्पोरेट

किसान, मालिकाना चिंताएँ, साझेदारी

कृषि, संबद्ध और प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए फर्म

सहायक गतिविधियाँ.

सुविधा/पुनर्भुगतान

ओडी-एग्री

सीमा रु. 3.00 से रु. 50.00
लाख तक

ओडी-कृषि-संबद्ध

सीमा रु. 3.00 से रु. 50.00
लाख तक

ओडी कृषि-संबद्ध

(ड्रॉपलाइन ओ.डी.)

सीमा रु. 3.00 से रु. 200.00
लाख तक

टीएल-एग्री

सीमा रु. 3.00 से रु. 200.00
लाख तक

टीएल-एग्री_एलाइड

सीमा रु. 3.00 से रु. 200.00
लाख तक

उद्देश्य

- किसानों को पारंपरिक खेती के लिए परेशानी मुक्त वित्त उपलब्ध कराना और आधुनिक खेत और खेत से संबंधित गतिविधियाँ
- अल्पकालिक उत्पादन (कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए खेती के लिए उपयोग की जाने वाली विश्वविद्यालय/सरकारी/निजी संस्थान की भूमि को देय पट्टा किराया सहित) और निवेश ऋण को पूरा करने के लिए उभरती और उच्च तकनीक कृषि गतिविधियाँ ।
- निवेश ऋण
- कॉर्पोरेट खेती • अनुबंध खेती



ऋण सीमा का आकलन

आवश्यकता आधारित मूल्यांकन

उत्पादन क्रेडिट:

संशोधित केसीसी के आधार पर

निवेश ऋण :

प्रत्येक गतिविधि की परियोजना लागत के आधार पर

मार्जिन -15-25 %

सीमा मूल्यांकन

निर्धारित सीमा निम्नलिखित तीन मापदंडों के अधीन है और जो भी कम हो:

1. सीमा निर्धारण पूर्णतः फसल क्षेत्रफल पर आधारित होगा।
फसल पैटर्न और वित्तमान (एसओएफ) आधारित।
2. SARFAESI अनुपालक के वसूली योग्य मूल्य का 65% संपत्ति गिरवी रखी जा रही है।
3. सभी सत्यापन योग्य दस्तावेजी स्रोतों से वार्षिक कृषि आय और/या गैर-कृषि आय का 5 गुना
।



ब्याज दर

- एक वर्ष की एमसीएलआर (फ्लोटिंग) + 2.00% प्रति वर्ष (वर्तमान प्रभावी - 10.55%) वार्षिक रीसेट के साथ।
 - 50 लाख रुपये से कम के ऋण के लिए
 - एक वर्ष की एमसीएलआर (फ्लोटिंग) + 2.00% प्रति वर्ष 50 लाख रुपये और उससे अधिक के ऋण के लिए - सीआरए आधारित मूल्य निर्धारण।
- (ब्याज दर रियायत - सीपीपीडी परिपत्र क्रमांक संख्या: एडीवी/125/2022 - 23दिनांक 24.02.2023 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार होगी ।)

दंडात्मक ब्याज:

यदि अधिक समय से बकाया है तो बकाया शेष राशि पर ब्याज दर के अतिरिक्त 1% प्रति वर्ष : • सभी कृषि गतिविधियों के लिए चूक की तिथि से 1 फसल मौसम। • संबद्ध और सहायक गतिविधियों के लिए चूक की तिथि से 30 दिन।



सुरक्षा

प्राथमिक:

- खड़ी/भविष्य की फसलों और बैंक से बाहर बनाई गई परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक ऋण।

संपार्श्विक:

- SARFAESI अनुपालक अचल संपत्ति, शाखा से 25 किमी की परिधि में , कोई द्वितीय प्रभार या परि-पासु प्रभार नहीं।
 - अनिवार्य: CERSAI पोर्टल (www.cersai.org.in) से रिपोर्ट खोजें
-

संपत्तियों की नकारात्मक सूची - संपत्ति के वे प्रकार जिनसे बचना चाहिए

- भवन/संपार्श्विक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (निर्मित संपत्ति)।
- एचयूएफ स्वामित्व वाली संपत्तियां
- संपत्तियां जहां मालिक हैं नाबालिगों
- सिनेमा हॉल, होटल।
- फंक्शन हॉल – पब, क्लब, रेस्टोरेंट
- रिवरबैंक्स के पास संपत्तियां
- भूमि-आबद्ध संपत्तियां
- औद्योगिक संपत्ति
- छात्रावास/अस्पताल/क्लिनिक/स्कूल/शैक्षणिक संस्थान
- लीजर टाउनशिप/हिल पर संपत्तियां के स्टेशन
- ऐसी संपत्तियाँ जहाँ खतरनाक रसायनों का उपचार किया जाता है।
- स्टूडियो अपार्टमेंट.
- छावनी में स्थित संपत्तियां क्षेत्र.
- मॉल संरचनाओं का हिस्सा बनने वाले कार्यालय/दुकानें ।
- ट्रस्ट/धार्मिक संस्थाएँ।
- सरकारी प्रतिष्ठानों को पट्टे पर दी गई संपत्तियां।



तृतीय पक्ष गारंटी

कंपनी के प्रमोटर्स/निदेशकों/साझेदारों/निदेशकों/ एफपीओ के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत गारंटी।

संपार्श्विक के रूप में पेश की गई और बंधक रखी गई संपत्ति के मालिक की व्यक्तिगत गारंटी



प्रलेखन

संपत्ति बंधक □ प्रभावी बंधक बनाने

के लिए टीआईआर में उल्लिखित मूल शीर्षक विलेख और दस्तावेज।

□ नवीनतम गृह/संपत्ति कर भुगतान रसीदें। □ सूचीबद्ध अधिवक्ता से शीर्षक जांच रिपोर्ट (टीआईआर) □ सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट। □ सीईआरएसएआई साइट से खोज रिपोर्ट। □ सीपीपीडी द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

दस्तावेजों का अन्य सेट

एबी-1, एबी-2, एसएमई-5, एसएमई-6, एसएमई-7, एसएमई-8, एसएमई-9

व्यवस्था पत्र

ब्याज अनुदान:

उपलब्ध नहीं है।

यदि आवेदक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान के लिए पात्र है, तो वह सामान्य संपार्श्विक सुरक्षा के तहत अलग से केसीसी का लाभ उठा सकता है।

किसी भी अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

निधियों का अंतिम उपयोग - सत्यापन

10.00 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उधारकर्ता से स्व-घोषणा , बिल/

वाउचर के लिए आग्रह किए बिना।

धन के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने तथा उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए संवितरण के बाद निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा ।

10.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा पर ऋण सीमा के 20% तक की स्व-

घोषणा (जहां भी वे नकद खरीद / श्रम मजदूरी के भुगतान आदि और शेष सीमा के कारण बिल वाउचर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं), शाखाओं को धन के संवितरण की तारीख से एक महीने के भीतर परिसंपत्तियों के सत्यापन और चालान / नकद प्राप्तियों के संग्रह द्वारा धन की प्राप्ति सुनिश्चित करनी होगी ।

(निरीक्षण और दस्तावेजों का उपयुक्त रिकॉर्ड रखा जाता है और ऑडिट के दौरान उपलब्ध कराया जाता है)



मूल्यांकन

बाज़ार की जानकारी पर विचार करें

हर 3 साल में नया मूल्यांकन

उधारकर्ता से वचनबद्धता

उधारकर्ता से एक बार शपथ पत्र कि निधियों का उपयोग अनुमोदित गतिविधियों के लिए किया जाएगा न कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए।

निरीक्षण

अर्धवार्षिक अंतराल पर निर्धारित।

यदि खाता अनियमित है तो तुरंत।

प्रसंस्करण / टीएटी

सभी प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से आरएसीसी/कृषि सीपीसी में संसाधित किया जाना चाहिए।

सभी आवश्यक दस्तावेज/कागज़ात जमा करने की तिथि से 14 दिन ।



धन्यवाद